

22.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया
वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही
चाही जा रही है वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार
आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी
अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र
वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

Wang

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

